न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

सन् 2018

अपील नामा0संख्या 10/18
आरसीएमएस संख्या 2017/000242

बउनवानीः—

1. सन्तरा देवी पुत्री विरदया पत्नि रामकुंवार जाति बैरवा निवासी कुतलपुरा जाटान, तहसील सवाई माधोपुर, हाल निवासी छाण ढाणी गंगानगर तहसील खण्डार
2. सम्पत देवी पुत्री विरदया पत्नि चेतराम जाति बैरवा, निवासी कुतुलपुरा जाटान, तह0 सवाईमाधोपुर, निवासी ग्राम कुण्डेरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
3. गणपत देवी पुत्री विरदया पत्नि पप्पूलाल जाति बैरवा, निवासी कुतलपुरा जाटान, तह0 सवाई माधोपुर, हाल निवासी ग्राम चौरू तहसील अलीगढ, जिला टोंक

बनाम

1. बालकिशन पुत्र विरदया बैरवा निवासी कुतलपुरा जाटान तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. जितेन्द्र पुत्र श्यामलाल बैरवा निवासी कुतलपुरा जाटान तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3. महेन्द्र पुत्र श्यामलाल बैरवा निवासी कुतलपुरा जाटान तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
4. केलाशी बैवा श्यामलाल बैरवा निवासी कुतलपुरा जाटान तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
5. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 120 निर्णय दिनांक 27.1.1981 वाके ग्राम कुतलपुरा जाटान तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री केलाश सिंह राजावत — वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्र प्रकाश जांगिड — वकील रेस्पो.,1—4

—: निर्णय :— दिनांक 22.07.2019

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 120 निर्णय दिनांक 27.1.1981 वाके ग्राम कुतलपुरा जाटान तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है क्योकि अपीलान्ट व रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 एक ही परिवार के सदस्य है व मृतक विरदया पुत्र गंगाबिशन बैरवा निवासी कुतलपुरा जाटान तहसील सवाईमाधोपुर के वंशज है। अपीलान्ट संतरा देवी,सम्पत देवी एवं गणपत देवी, मृतक विरदया पुत्र गंगाबिशन की पुत्रीया है तथा रेस्पो. नम्बर एक मृतक विरदया बैरवा का पुत्र है व रेस्पो. संख्या 2 व 3 मृतक विरदया बैरवा के बडे पुत्र श्यामलाल के लडके है व रेस्पो. संख्या 4 मृतक विरदया बैरवा के मृतक पुत्र श्यामलाल की पत्नि है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्टगण के पिता विरदया पुत्र गंगाबिशन मूल रूप से ग्राम धनोली जेतपुर तहसील सवाईमाधोपुर के रहने वाले है तथा 70 वर्ष पूर्व आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपीलान्टगण का पिता विरदया पुत्र गंगाबिशन बैरवा शहर सवाईमाधोपुर में मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार की आर्थिक जीविका चलाने के उद्देश्य से अपना मूल गांव धनोली,जेतपुर छोडकर शहर सवाईमाधोपुर से बिल्कुल नजदीक गांव कुतलपुरा जाटान में आकर पूरे परिवार के साथ रहने लग गया। यह तर्क भी दिया कि ग्राम कुतलपुरा जाटान के ख0न0 80 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा पर विरदया का लम्बे समय से चले आ रहे निर्विवाद कब्जे के आधार किसी प्रकार का कोई विवाद कब्जा संबंधी नही होने के कारण उक्त भूमि अपीलान्ट के पिता विरदया पुत्र गंगाबिशन को दिनांक 22.9.1961 को नामा0 संख्या 28 जरिये कब्जे काश्त के आधार पर धारा 19 आर. टीएक्ट के तहत खातेदारी अधिकार दिये गये है। खातेदारी आदेश की प्रति अपील मीमो के साथ पेश की गयी है। किन्तु उक्त राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में फर्जी इन्द्राज कर विरदया के साथ

डॉ. ... पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

काल्या का नाम गलत इन्द्राज बाद में जाल साजी कर किया गया है। जो राजस्व रिकार्ड मे पूर्ण रूप से साबित है। अपीलान्टगण अपने पिता विरदया की जायज सन्ताने होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत विरदया की सम्पति मे पुत्र श्यामलाल व बालकिशन के समान हिस्सा बनता है। कथन के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की Civil Apeal Nos 188-189 OF 2018 (@SLP© Nos 10638-10639 of 2013) की प्रति प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट के पिता विरदया की दिनांक 28.3.1978 को मृत्यु होने पर उसके कब्जा काश्त की आराजीयात का नामा0 संख्या 120 दिनांक 27.1.1981 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना वारिसान की जॉच किये हम अपीलान्टगण के नाम नही खोलकर विरदया के दोनो पुत्र श्यामलाल व बालकिशन के नाम खोल दिया गया है जिसके आधार पर रेस्पो. ने अपना नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा लिया है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील की अपीलान्ट को पूर्व मे कोई जानकारी नही थी किन्तु जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक 17.5.2018 को नकल प्राप्त करने पर पता चला है। अतः जानकारी होने से अपील माननीय न्यायालय में अन्दर मयाद मय शपथ पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज करने बाबत निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 द्वारा निवेदन किया कि अपीलान्ट रेस्पो. संख्या 1 व रेस्पो.संख्या 2 लगायत 3 के पिता व रेस्पो. संख्या 4 के पति की सगी बहिने है जिनको हमारे पिता/पूर्वज विरदया पुत्र गंगाबिशन के कब्जे काश्त की आराजीयात में हमारे बराबर हिस्सा लेने का अधिकार बनता है किन्तु उनके इस अधिकार के बदले हम समय-समय पर उनको भात जामणा,तीज त्यौहारो इत्यादि पर खर्चा देते रहते है फिर भी यदि माननीय न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त नामा0 खारिज कर अपीलान्ट को भी हमारे पिता की विरासत का बराबर हिस्सा दिया जाता है तो हमको कोई आपत्ति नही है।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ, कि अपीलान्टगण रेस्पों संख्या 1 व रेस्पो. संख्या 2 लगायत 3 के पिता तथा रेस्पो. संख्या 4 के पति की सगी बहने एवं मृतक विरदया की जायंदा पुत्रिया होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम,1956 के तहत उनका भी पुत्रों के समान ही अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्सा बनता है। इस संबंध में वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर बखूबी चस्पा होता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 120 केवल मात्र मृतक विरदया के पुत्रों के नाम ही भरा जाकर तस्दीक किया गया है जबकि उक्त नामा0 में अपीलान्टगण का नाम भी अंकित होना आवश्यक था। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व मृतक विरदया के विधिक वारिसान की गहनता से जॉच नही किये जाने के कारण मृतक विरदया के पुत्रों के नाम भरा गया उक्त नामा0 संख्या 120 दिनांक 27.1.1981 विधिसम्मत नही है। अतः मृतक विरदया के वारिसान की जॉच कर सभी विधिक वारिसान के नाम पुनः नामा0 भरकर तस्दीक करवाये जाने हेतु अपील अपीलान्ट तहसीलदार सवाईमाधोपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है। एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक विरदया पुत्र गंगाबिशन के वारिसान की जॉच कर उसके विधिक वारिसान के नाम पुनः नामा0 भरकर दर्ज फैसल करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.7.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 16:56:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: